एफ7/1572
131

Remove Watermark Now

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,मुख्यालय, जयपुर ।

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (76)/2017/826 दिनांक :– 11-7-2017

कार्यालय –आदेश

उडनदस्ता अधिकारी या.(मु.)कृते निदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा,चण्डीगढ के पत्रांक 222/टी.आई/5 दिनांक 6.7.2017 द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 22/76/2003–2 टी(1)दिनांक 30.6.2016 में संशोधन किये जाने से अवगत कराया है । जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है ।

इस सम्बन्ध में आपके द्वारा इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या एफ–4/मु./याता/लेखा/93/220 दिनांक 14.5.93 की पालना में आप द्वारा सम्बन्धित राज्य में यात्री किराया दरों में किए गए परिवर्तन के अनुसार यात्री से किराया राशि को प्रभावी कर वसूली प्रारम्भ की गयी होगी।

अतः राज्य परिवहन हरियाणा द्वारा जारी वर्णित आदेश की प्रति संलग्न कर आपको एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि हरियाणा राज्य सीमा में संचालित वाहनों में आप द्वारा वसूल की जा रही यात्री किराया राशि का हरियाणा राज्य की किराया तालिका से मिलान करते हुए संशोधित यात्री किराया राशि की वसूली सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (याता)

क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा(76)/2017/826 दिनांक :– 11-7-2017

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्या0जयपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय जयपुर
3. समस्त महा प्रबन्धक,/संयुक्त महा प्रबन्धक( ) राजस्थान परिवहन निगम,मु0जयपुर
4. निगम सचिव रा0परि0निगम मु0 जयपुर।
5. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/ टिकिट/अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0,मु0 जयपुर
6. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.). राजस्थान परिवहन निगम,मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावे तथा कम्प्यूटर एवम् ई.टी.आई.एम. में आवश्यक संशोधन कराना सुनिश्चित करावें ।
7. कार्यकारी प्रबन्धक ,(जनसर्म्पक)/संचालन /( ) रा.प.नि.मुख्यालय जयपुर ।
8. सहा0.लेखाधिकारी,(टिकिट/अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
9. समस्त मुख्य प्रबन्धक,/प्रबन्धक.(वित्त)राज0 परि0 निगम.....................आगार ।
10. कन्ट्रोल रूम ,मुख्यालय, जयपुर
11. आदेश पत्रावली ।

11/7/17
(के.के.पारीक)
कार्यकारी प्रबंधक (सामान्य)

pdfelement

Remove Watermark Now

निदेशालय, राज्य परिवहन, हरियाणा

30—बेज बिल्डिंग, द्वितीय तल, सैक्टर—17, चण्डीगढ
फोन न0 0172—2701451, ई—मेलः dtctrhr@gmail.com

सेवा में

1. सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन।

2. उडनदस्ता अधिकारी,
अन्तर्राज्जीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट,
दिल्ली।

क्रमांक /टी0आई—5/ दिनांक

विषयः— हरियाणा राज्य में बसों के संशोधित किराये के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 22/76/2003—2टी(I) दिनांक 30.06.2016 में संशोधन करते हुये दिनांक 04.07.2017 से साधारण बसें, लगजरी बसों, वातानुकुलित बसों एवं अन्र्तराजीय लग्जरी वातानुकुलित बसों के किराये को रूपये 15:00 से अधिक किराया रूपये 5:00 के गुणंक मे प्रभारित किया जायेगा और रूपये 15:00 से कम किराया रूपये 5:00, रूपये 7:00, रूपये 10:00 और रूपये 12:00 जैसी भी स्थिति हो, के रूप में प्रभारित किया जायेगा। किराये के रूपये 2.50 और उससे अधिक के भाग को रूपये 5:00 के गुणांक मे किया जायेगा और रूपये 2.50 से कम के भाग को अवगणित किया जायेगा।

संलग्नः उपरोक्त

(श्री. बी0एस0 घनघस)
उडनदस्ता अधिकारी या0(मु0)
कृतेः निदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा चण्डीगढ

पृ0क्रमांक /टीआई 5/ दिनांक

इसकी एक प्रति परिवहन आयुक्त हरियाणा चण्डीगढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(श्री बी0एस0 घनघस)
उड़नदस्ता अधिकारी या0(मु0)
कृतेः निदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा चण्डीगढ

पृ0क्रमांक 222 /टीआई 5/ दिनांक 06-07-2017

इसकी एक—2 प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. प्रबध निदेशक, उतर प्रदेश पथ परिवहन निगम लखनउ
2. प्रबध निदेशक, राजस्थान पथ परिवहन निगम जयपुर
3. प्रबंध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला
4. प्रबंध निदेशक, जम्मू एण्ड कश्मीर पथ परिवहन निगम जम्मू
5. प्रबंध निदेशक, पी0आर0टी0सी पटियाला
6. प्रबध निदेशक, डी0टी0सी दिल्ली
7. प्रबंध निदेशक, उतराखण्ड पथ परिवहन निगम देहरादून
8. निदेशक, चण्डीगढ परिवहन उपक्रम चण्डीगढ
9. निदेशक, पजाब राज्य परिवहन चण्डीगढ
10. सभी अधिकारी मुख्यालय विशेषकर उप परिवहन नियंत्रक (स्टोर) को सूचनार्थ एवं ऑनलाईन बुकिंग में संशोधित किराया लागू करना सुनिश्चित करने हेतू।

(श्री बी0एस0 घनघस)
उड़नदस्ता अधिकारी या0(मु0)
कृतेः निदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा चण्डीगढ

pdfelement

Remove Watermark Now

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 4th July, 2017

No. 22/76/2003-2T (I).- In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub section (1) of section 67 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Transport Department, Notification No. 22/76/2003-2T(I), dated 30th June, 2016, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Transport Department, Notification No. 22/76/2003-2T(I) dated 30th June, 2016, the Explanations, for item 1 and entries against there, the following item and entries against there shall be substituted, namely:-

"1. Fare beyond Rs. 15.00 will be charged in multiples of Rs. 5.00 and below Rs. 15.00 will be charged in Rs. 5.00, Rs.7.00, Rs. 10.00 and Rs. 12.00, as the case may be. Fare involved fraction of Rs. 2.50 and above shall be rounded off to Rs. 5.00 and the fraction of less than Rs. 2.50 shall be ignored."

S.S. Dhillon
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Transport Department

pdfelement